न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 52/2016

हुरमन बनाम सकूर वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 जा0दी0

उपस्थित :– श्री शीशराम वर्मा वकील वादनी
श्री बृजलाल शर्मा वकील प्रतिवादी गण

निर्णय

दिनांक 31.12.2020

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 ने मय वकील उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र धारा 7 नियम 11 जा0दी0 इस आशय का पेश किया कि वादनी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा में मद सं. 2 में बाबत जिन तथ्यो के आधार पर धारा 88,89एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया है, वे तथ्य विधि द्वारा वर्जित होने की वजह से वादनी को हम प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई विवाद का कारण पैदा नही होता है। वादनी के वाद पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा वादनी खारिज फरमाया जावें।

वकील वादी ने जबाव प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पर इस आशय की पेश किया कि दावा में कोई भी तथ्य विधि विरूद्व नही है। दोनो पक्षो के साक्ष्य एवं तनकी पश्चात विवाद के बिन्दुओ पर निर्णय संभव है। दावा सुनने का न्यायालय श्रीमान को पूर्ण क्षेत्राधिकार है,इसलिए दावा की प्रकृति को देखते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज फरमाई जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। प्रार्थी ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में सर्वप्रथम दावा के तथ्यो पर ही गौर फरमाया जावें। वादनी को दावो में दर्ज तथ्यो के आधार पर प्रतिवादीगण के खिलाफ राजस्व न्यायालय में वाद हेतुक उत्पन्न नही होता है। इसलिए जबाव दावा एवं तनकी कायम करने की कोई आवश्यकता नही है। वादनी एंवं प्रतिवादीगण जाति से मेव है, जो कि मुस्लिम कानून के अन्तर्गत आते है। वादनी ने राजस्व न्यायालय में इस आधार पर दावा किया है कि आज से करीब 35 साल पूर्व प्रतिवादी नं.1 ने अपनी आराजी मे से 1/2 हिस्सा वादनी एवं

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

तरतीवी प्रतिवादीगण की माता एवं 7 लगायत 13 की नानी असरफी को मेहर की एवज में दे दिया था एवं असरफी का देहान्त लगभग 30 वर्ष पूर्व हो चुका है। वादनी ने मेहर के आधार पर खातेदार घोषित करने का दावा किया है, जबकि मेहर के आधार पर अनुतोष केवल दीवानी न्यायालय मे ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः वादनी को हम प्रतिवादीगण के खिलाफ अब कोई विवाद हेतुक प्रकट नही होता है। मेहर के आधार पर राजस्व न्यायालय को मुकदमा सुनने का क्षेत्राधिकार नही होने के कारण दावा वादनी आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत जबाव को ही पुनः दोहराया है। हमनें वकील फरीकेंन की बहस पर गहनता से मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया वाद की मद संख्या 04 में वादनी ने स्वयं दावा में कथन किया है कि लगभग 35 वर्ष पूर्व प्रतिवादी सं.01 शकूर ने वादीया की माता को बतौर मेहर आधी भूमि दे दी गई थी। एवं लगभग 30 वर्ष पूर्व वादनी की माता की मृत्यु हो चुकी है। वादनी ने लगभग 30 वर्ष पश्चात मेहर के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु दावा प्रस्तुत किया है। यहॉ पर दावा में वाद हेतुक मेहर के आधार पर वादनी ने प्रकट किया है। वादनी एवं प्रतिवादीगण दोनो मुस्लिम जाति से है। मेहर को कानूनी अधिकार तो प्राप्त है, परन्तु व्यक्ति मेहर के आधार पर मुस्लिम कानून के अन्तर्गत दीवानी न्यायालय में अधिकार प्राप्त कर सकता है, न कि राजस्व न्यायालय में। अतः प्रस्तुत दावा में वाद हेतुक मेहर के आधार पर प्रकट होता है। जबकि मेहर के आधार पर अनुतोष केवल दीवानी न्यायालय मे ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 उक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार किया जाता है। दावा वादनी खारिज किया जाता है।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ० 20 रु० 6-7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अदालत अखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर) मुकाम

संजय गोयल R.H.S

दुरमन पुत्री सबूर, बनाम 1) सबूर पुत्र दराब, 2) हमीदन पत्नी सबूर

पत्नी ईशा, जाति-मेव, (शेष नाम पीछे अंकित हैं)

पथराली, तह० पहाडी

हाल ग्राम सुनेहडा तह० फुहाना दावा बावत 88, 89, 91, 188 R.T. Act

मेवात (नूंह) हरि० - वादिनी मुकदमा नं० 52/2016 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मुझ संजय गोयल R.H.S.

वकील वादनी मिनजानिब वकील प्रतिवादीगण

मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

प्रतिवादीगण का प्रा०पत्र अंतर्गत धारा आदेश 07 नियम 11 जा०दी० विवेचन के आधार पर स्वीकार किया जाता है। दावा वादनी खारिज किया जाता है।

आज X मुबलिग X

इस मुकदमे के मय सूद व शहर X को सर्दी सालाना आज की

से तारीख वसूलयाबी X तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह 31/12/2020 सन

जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा पहाडी (भरतपुर)

मुद्दई		रुपया	पैसे	मुद्दालय		रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	......	2.00		स्टाम्प वकालतनामा	......		
स्टाम्प वकालतनामा	......	1.00		स्टाम्प अरजी	......		
स्टाम्प वजह सबूत	......	1.00		महनताना वकील) पर	......		
महनताना वकील) पर	......			खर्चा गवाहान	......		
खर्चा गवाहान	......			फीस कमिश्नर	......		
फीस कमिश्नर	......			बाबत इजराय हुक्मनामा	......		
बाबत इजराय हुक्मनामा	......			मुतफर्रिक	......		
मुतफर्रिक	......						
मीजान	......	4.00		मीजान	......		